संख्या:55/2019/3301जेएल/22-3-19-100(23)/2018ए

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 28 जून, 2019***

विषय: जिला कारागार कासगंज में निरूद्ध विचाराधीन बंदी चन्दन सिंह उर्फ देवकी नन्दन सिंह पुत्र श्री दीनानाथ सिंह को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-17850/सामा-1(3)/कासगंज स्था0/2019, दिनांक 20-06-2019 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-30/2019/466जेएल/22-3-19-100(23)/2018ए, दिनांक 21-02-2019 को निरस्त करते हुए उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानानुसार जिला कारागार कासगंज में निरूद्ध विचाराधीन बंदी चन्दन सिंह उर्फ देवकी नन्दन सिंह पुत्र श्री दीनानाथ सिंह को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार गौतमबुद्धनगर में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:55/2019/3301जेएल(1)/22-3-19-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज/गौतमबुद्धनगर/लखनऊ।
4- पुलिस अधीक्षक, कासगंज एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर/लखनऊ।
5- अधीक्षक, जिला कारागार कासगंज/गौतमबुद्धनगर एवं वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in